بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

किताब अत-तौहीद के चुनिंदा अध्याय।

पहला बयान: तौहीद का परिचय और उसकी विशेषता।
२५ फरवरी २०२३

वक्ता: शेख़ अबू ख़दीजा अब्दुल वाहिद

इस बयान में तीन ख़ास विषयों पर बात हुई है:

१. DeenSahih.com प्लेटफार्म और किताब अत-तौहीद के बयानों का सिलसिला।
२. शेख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब (अल्लाह उन पर रहम करे) की संक्षिप्त जीवनी।
३. किताब अत-तौहीद का पहला अध्याय, तौहीद की परिभाषा और अहमियत।

शेख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब (अल्लाह उन पर रहम करे) की संक्षिप्त जीवनी:

१ . वह एक विद्वानों के घराने से आते हैं, उनके पिता और दादा दोनों ही विद्वान और न्यायाधीश थे।
२. बहुत कम उम्र से ही उन्होंने ज्ञान सीखना शुरू कर दिया था और ज्ञान सीखने के लिए कई जगह का सफ़र किया जैसे हिजाज़ (अरब का एक इलाक़ा), इराक़ वग़ैरह।
३. उनके कुछ गुरु: मुहम्मद हयात अल-सिंधी (जिनसे उन्होंने हदीस का ज्ञान लिया), मुहम्मद अल-मजमूई (जिनसे उन्होंने अक़ीदे का ज्ञान लिया)।
४. अपने और आस पास के इलाक़ों में बड़े रुप से फैले हुए तरह तरह के शिर्क, बिद्त और संबंधित रस्मों रिवाजों को देखकर वो काफ़ी परेशान रहते।
५. अपनी पढ़ाई तथा अध्ययन मे वह शेख़ अल-इस्लाम इब्न तयमियाह और उनके शागिर्द इब्न अल-क़य्यिम (अल्लाह उन दोनों पर रहम करे) से बहुत प्रभावित थे।
६. तौहीद की सही समझ जो क़ुर्आन, सुन्नत और सदाचारी पूर्वज सेसाबित है उसको फैलाने के लिए शेख़ ने यह महत्त्वपूर्ण किताब लिखी।
७. जब उन्होंने यह किताब लिखी तब उनकी उम्र बीस साल से कुछ ज़्यादा थी, इससे उनके इतनी कम उम्र से ही रुतबे और समझ का पता चलता है।
८. इस किताब में ६७ अध्याय हैं जो तौहीद के अलग अलग पहलुओं और क़िस्मों के बारे में चर्चा करते है ख़ास तौर से तौहीद अल-उलूहियाह (अर्थात: इबादत का असली हक़ केवल अल्लाह का है) के बारे में है।

तौहीद की परिभाषा और अहमियत:

१. तौहीद की अहमियत – क़ुर्आन और हदीसों से सुबूत।
२. शेख़ ने पहले अध्याय की व्याख्या के लिए जज़ान (सऊदी अरब) के महान विद्वान शेख़ अहमद अन-नजमी (अल्लाह उन पर रहम करे) की स्पष्टीकरण का इस्तेमाल किया है।
३. जीवजंतु के तीन दायरे (फ़रिश्ते, शैतान, इंसान/जिन्न) और उनका तौहीद से रिश्ता|
४. हर इंसान का जन्मजात स्वभाव ये ही है के वो तौहीद में आस्था रखता है (जब तक कोई उसे भ्रष्ट ना करे)|
५. इंसानियत शुरू से तौहीद पर थी और जब वो गुमराह हुई और शिर्क करने लगी तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के किए अपने दूतों (रसूलों) को भेजा।
६. क़ुर्आन की सुरह अल-अ्नाम की आयतों (१५१, १५२, १५३) की व्याख्या जिसमें कई चीज़ों को हराम बताया गया, उनमे सबसे पहली चीज शिर्क है।
७. अल्लाह ने क़ुर्आन की एक ही आयत में तौहीद (सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना) और अपने माता-पिता की आज्ञा-पालन करने का साथ में हुक्म दीया है।
८. तौहीद परस्त इंसान जिसने बड़े गुनाह किए हों – अगर अल्लाह उसको सज़ा देने का फ़ैसला करेगा (और वो उसके योग्य होगा) – तो उसको सज़ा देने वाली आग मुशरिकों को सज़ा देने वाली आग से अलग होगी। अंत में वो जन्नत में जाएगा।

यहाँ पर पहला अध्याय ख़त्म होता है।
शेख़ अबू ख़दीजा अब्दुल वाहिद ने आख़िर में दुआ की के अल्लाह हमें तौहीद को समझने में और इस महत्त्वपूर्ण किताब को पढ़ने में कामयाब करे (आमीन)।

लिंक – https://www.deensahih.com/series-selected-chapters-from-kitab-al-tawḥid